ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

गांधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत - एक वैचारिक क्रांति

डॉ. राजकुमार गोयल

सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान, सेठ बिहारी लाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर

सार

गांधीवाद के चार प्रमुख आयाम माने जाते हैं: सत्य, अहिंसा, स्वालंबन और ट्रस्टीशिप। गांधीवाद **महात्मा गांधी** के उन राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों पर आधारित है जिनको उन्होंने सबसे पहले व्यवहार में प्रयोग किया तथा उनको व्यवहार में उपादेय पाने पर सिद्धान्त का रूप देकर सार्वजनिक किया। उदाहरण के लिए सत्य के प्रयोग नाम से महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन 1927 में किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरूद्ध अहिंसक सत्याग्रह गंाधीजी का प्रमुख अस्त्र रहा है जिसने भारत को आजादी दिलाई। स्वालंबन का प्रयोग भी गांधीजी ने पहले अपने आप पर किया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वालंबन और ग्राम स्वराज की, का सिद्धान्त विकसित किया। चरखा, तकली, और खादी स्वालंबन के प्रतीक बन गए। गांधीजी का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को स्वालंबी बनाए। इसीलिए उन्होंने बुनियादी तालीम पर जोर दिया। गांधीवाद का चौथा प्रमुख आयाम ट्रस्टीशिप है इस पर बहुत कम लेखन हुआ है। वर्तमान भारत के सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करना जरूरी है।_**गांधीवादी अर्थशास्त्र** (**Gandhian economics**) इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले उनके प्रसिद्ध अनुयायी अर्थशास्त्री जे.सी. कुमारप्पा ने किया था। उनके अनुसार गांधी का अर्थशास्त्र एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का अवधारणा पर आधारित है जिसमें वर्ग को कोई स्थान नहीं है। गांधी का अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है।गांधीवादी अर्थशास्त्र के प्रणेता जे.सी. कुमारप्पा ने मद्रास से अपनी स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अध्ययन के दौरान उन्होंने अपने एक आलेख में प्रमाणों सहित यह सिद्ध किया था कि भारत की गरीबी का प्रमुख कारण अंग्रेज सरकार की शोषणवादी नीतियां हैं।जे.सी. कुमारप्पा की यह विशेषता रही है कि उन्होंने स्वयं जमीनी सर्वेक्षण करके अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तकें एवं आलेख लिखे। उन्होंने यंग इंडिया के संपादन में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में कार्य किया था।

परिचय

गांधीजी के ट्रस्टीशिप (Gandhian Concept of Trusteeship) अर्थात **न्यासिता के सिद्धान्त** के मूल में यह है कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज है, पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला है।गांधीजी का यह मानना था कि जो संपत्ति पूंजीपतियों के पास है, वह उसके पास धरोहर के रूप में है।महात्मा गांधी का कहना था कि पूंजीवाद के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है और श्रम की महत्ता कम हुई है। बेरोजगारी ने समाज की सबसे छोटी इकाई को कमजोर किया है। अगर धनवानों ने अपनी धन-दौलत और उससे प्राप्त शक्ति का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया और आम जनता को उसके हित में साझीदार नहीं बनाया तो निश्चित रूप से एक दिन हिंसक और रक्तरंजित क्रांति हो जाएगी।महात्मा गांधी का कहना था कि इन सारी समस्याओं का समाधान ट्रस्टीशिप सिद्धांत में निहित है।महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं [1,2]से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है, उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार है, शेष संपत्ति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए।
महात्मा गांधी मानते थे कि सभी लोगों की क्षमता एक सी नहीं होती है, कुछ लोगों की कमाने की क्षमता अधिक होती है तो कुछ लोगों की कम होती है, इसलिए जिनके कमाने की क्षमता अधिक है उन्हें कमाना तो अधिक चाहिए किंतु अपनी जरूरतों को पूरी

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

करने के बाद शेष राशि समाज के कल्याण पर खर्च करना चाहिए।महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपति और अधिक व्यवसायिक आमदनी वाले व्यक्तियों को अपनी जरूरतों को सीमित करना चाहिए तभी बची हुई आमदनी जरूरतमंदों पर खर्च की जा सकेगी। महात्मा गांधी के न्यासिता सिद्धान्त को बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग ने काल्पनिक आदर्शवाद निरूपित करके अव्यवहारिक करार दिया। अनेक लोग उनके ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की खिल्ली उड़ाते थे। किंतु गांधीजी को अपने **ट्रस्टीशिप सिद्धांत** पर विश्वास था। इसलिए उन्होंने पूंजीपतियों और धनी व्यक्तियों से ट्रस्टीशिप सिद्धान्त समझाने के लिए बैठकें प्रारंभ की तथा उन्हें समझा-बुझाकर इसके परिपालन के लिए सहमत करवाने में बड़ी हद तक सफलता पाई।महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त से सहमत सैकड़ों उद्योगपतियों ने चैरिटेबल ट्रस्ट व फाउंडेशन स्थापित करके दर्जनों शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, तालाब का निर्माण करवाया। ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का पालन करने वाले सैकड़ों उद्योगपतियों में परिवार सहित सादगीपूर्ण रहन-सहन अपनाने वाले जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का सबसे प्रिय उद्योगपति शिष्य माना जाता है। दूसरी ओर जमशेदजी टाटा ने 1903 से पहले ही ट्रस्टीशिप को व्यवहार में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था।**सवाल उठता है कि क्या आधुनिक भारत में जहां बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी विलासिता खर्च का न केवल प्रदर्शन करते हैं बल्कि मीडिया का उपयोग करके उसें प्रचारित भी करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या ट्रस्टीशिप को प्रासंगिक माना जा सकता है?**वर्तमान में ये पूंजीपति कॉरपोरेट उद्योगपति बन गए हैं और **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (Corporate Social Responsibility Expenditure)** को **कॉरपोरेट टैक्स में छूट (corporate tax exemption)** पाने के लिए करते हैं। इस सबके बावजूद आज भारत में हजारों उद्योगपति ऐसे हैं जिन्हें महात्मा गांधी से मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया किन्तु वे चैरिटेबल फाउंडेशन और ट्रस्ट स्थापित करके सहर्ष अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, चिकित्सा, देशी खेलों के विकास एवं लोक कल्याण कार्यों पर निरन्तर व्यय कर रहे हैं। प्रासंगिकता बताने के लिए जीवंत उदाहरण देना जरूरी है।[3,4]ट्रस्टीशिप अपनाने में आईटी उद्योग की प्रमुख कंपनी **विप्रो के मुखिया अजीम प्रेमजी** का नाम उदाहरणीय है, जिन्होंने पिछले दिनों 53 हजार करोड़ रुपए मूल्य की अपनी आधी शेयर संपत्ति **अजीम प्रेमजी फाउंडेशन (Azim Premji Foundation)** को दान कर दी। यह फाउंडेशन मुख्यत: भारत के 6 राज्यों व एक केन्द्र शासित प्रदेश में स्कूली शिक्षकों की शिक्षण क्षमता निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।पश्चिम की विलासतापूर्ण दिखावे के युग में पूंजीपतियों में विलासिता के प्रदर्शन की होड़ लगी है। ऐसी स्थिति में आज देश के लगभग 5 प्रतिशत उद्योगपति स्वेच्छा से ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का व्यवहार में प्रयोग समाज सेवा हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, तो यह सिद्धान्त को व्यावहारिक माना जा सकता है तथा इसको **आधुनिक भारत** में प्रासंगिक कहा जा सकता है।

गांधीजी ने देखा कि श्रम व पूंजी दोनों ही सत्ता के प्रकार हैं। यह सत्ता सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों ही दिशाओं में जा सकती है। उनका प्रयास था कि इन दोनों ही सत्ताओं का प्रयोग एक दूसरे के सहयोग से पारस्परिक उन्नयन के लिए किया जाए जो व्यापक समाज के कल्याण को भी प्राप्त कर सके। गांधीजी उपभोक्ता को भी अपने न्यासिता सिद्धांत का हिस्सा बनाते हैं। उनके अनुसार श्रम पूँजी आपस में एक-दूसरे का सहयोग करते हुए न्यासी बन जाए और समाज के कल्याण हेतु अपनी भूमिका अदा करे। दोनों मिलकर उपभोक्ता के न्यासी बने ताकि समाज में सबके हितों का कल्याण हो सके। गांधीजी की दृष्टि में यदि औद्योगिक संबंध (श्रम-पूजी संबंध) सामाजिक जीवन का ही एक भाग है तो वह व्यापक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। वह कहते हैं कि सच तो यह है कि तब पूँजीपति और श्रमिक एक दूसरे के न्यासी बन जाएंगे और दोनों मिलकर उपभोक्ताओं के संयुक्त न्यासी बन जाएंगे। मेरा न्यासीपन का सिद्धांत; जैसाकि मैंने समझाया है. एक पारस्परिक और उभयपक्षी चीज है इसमें प्रत्येक संबंधित पक्ष यही मानता है कि-

दूसरे पक्ष के हितों की रक्षा में ही उसका अपना सबसे अधिक हित है।" (सम्पूर्ण गाँधी वाडमय खंड-67.पू.153) इसके साथ ही वह यह भी अपेक्षा करते हैं कि इसी न्यासी भाव में लाभांश, मजदूरी और कीमतों के बीच सामजस्य स्थापित हो जाए। यह तभी संभव है जब श्रम-पूँजी एक-दूसरे का सहयोग समाज की भलाई के लिए अपना लक्ष्य स्थापित करें."एक ऐसा वक्त जरूर आयेगा और वह जल्द आए उतना ही अच्छा होगा जब भागीदारों के लाभाश, मजदूरों की मजदूरी और उपभोक्ताओं द्वारा अदा की जाने वाली कीमतों के बीच समुचित सामजस्य स्थापित हो जाएगा।" (सम्पूर्ण गांधी वाडमय, खंड-20, पृ. 508)

यह उद्धरण श्रम व पूंजी के उपभोक्ताओं के प्रति न्यासी बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गांधीजी के लिए उचित कीमत निर्धारण दोनों पक्षों का समाज के प्रति दायित्व है। साथ ही वह यह भी प्रस्ताव करते हैं कि उपभोक्ता भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है तब वह अपने उत्तरदायित्वों से कैसे विमुख हो सकता है? उनके अनुसार यदि पूंजीपति का हृदय परिवर्तन हो रहा हो, श्रमिक असहयोग,

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

सविनय अवज्ञा आदि सत्याग्रह का प्रयोग कर रहा हो या न कर रहा हो, ऐसा स्थिति में उपभोक्ता का दायित्व है कि वह उन वस्तुओं का बहिष्कार कर जो शोषण से उत्पन्न की जा रही हो। अगर कोई वस्तु शोषण से उत्पन्न है तो उपभोक्ता का उस सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रति सत्याग्रह करना कर्तव्य हो जाता में उपभोक्ता एक सत्याग्रही उपभोक्ता हो जाता । समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि वह स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को स्थापित करे समाज अपनी भूमिका से पलायन नहीं कर सकता है। अतः यदि कोई भी पक्ष स्वस्थ औद्योगिक संबंधों की स्थापना में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके प्रति सत्याग्रह उपभोक्ता सहित सम्पूर्ण समाज का भी दायित्व स्वयमेव हो जाता है। इस उत्तरदायित्व को प्रकट करते हुए वह कहते हैं.[5,6]

विचार-विमर्श

ट्रस्टीशिप अपनाने में आईटी उद्योग की प्रमुख कंपनी विप्रो के मुखिया अजीम प्रेमजी का नाम उदाहरणीय है, जिन्होंने पिछले दिनों 53 हजार करोड़ रुपए मूल्य की अपनी आधी शेयर संपत्ति अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को दान कर दी। यह फाउंडेशन मुख्यत: भारत के 6 राज्यों व एक केन्द्र शासित प्रदेश में स्कूली शिक्षकों की शिक्षण क्षमता निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। पश्चिम की विलासतापूर्ण दिखावे के युग में पूंजीपतियों में विलासिता के प्रदर्शन की होड़ लगी है। ऐसी स्थिति में आज देश के लगभग 5 प्रतिशत उद्योगपति स्वेच्छा से ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का व्यवहार में प्रयोग समाज सेवा हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, तो यह सिद्धान्त को व्यवहारिक माना जा सकता है तथा इसको आधुनिक भारत में प्रासंगिक कहा जा सकता है।
गांधीवाद के चार प्रमुख आयाम माने जाते हैं: सत्य, अहिंसा, स्वालंबन और ट्रस्टीशिप। गांधीवाद महात्मा गांधी के उन राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों पर आधारित है जिनको उन्होंने सबसे पहले व्यवहार में प्रयोग किया तथा उनको व्यवहार में उपादेय पाने पर सिद्धान्त का रूप देकर सार्वजनिक किया। उदाहरण के लिए सत्य के प्रयोग नाम से महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन 1927 में किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरूद्ध अहिंसक सत्याग्रह गंाधीजी का प्रमुख अस्त्र रहा है जिसने भारत को आजादी दिलाई।[7,8]

स्वालंबन का प्रयोग भी गांधीजी ने पहले अपने आप पर किया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वालंबन और ग्राम स्वराज की, का सिद्धान्त विकसित किया। चरखा, तकली, और खादी स्वालंबन के प्रतीक बन गए। गांधीजी का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को स्वालंबी बनाए। इसीलिए उन्होंने बुनियादी तालीम पर जोर दिया। गांधीवाद का चौथा प्रमुख आयाम ट्रस्टीशिप है इस पर बहुत कम लेखन हुआ है। वर्तमान भारत के सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करना जरूरी है।

गांधीवादी अर्थशास्त्र इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले उनके प्रसिद्ध अनुयायी अर्थशास्त्री जे.सी. कुमारप्पा ने किया था। उनके अनुसार गांधी का अर्थशास्त्र एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का अवधारणा पर आधारित है जिसमें वर्ग को कोई स्थान नहीं है। गांधी का अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थशास्त्र के प्रणेता जे.सी. कुमारप्पा ने मद्रास से अपनी स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अध्ययन के दौरान उन्होंने अपने एक आलेख में प्रमाणों सहित यह सिद्ध किया था कि भारत की गरीबी का प्रमुख कारण अंग्रेज सरकार की शोषणवादी नीतियां हैं। जे.सी. कुमारप्पा की यह विशेषता रही है कि उन्होंने स्वयं जमीनी सर्वेक्षण करके अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तकें एवं आलेख लिखे। उन्होंने यंग इंडिया के संपादन में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में कार्य किया था।[9,10]
महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब 1903 में उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। गांधीजी के ट्रस्टीशिप अर्थात न्यासिता के सिद्धान्त के मूल में यह है कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज है, पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला है। गांधीजी का यह मानना था कि जो संपत्ति पूंजीपतियों के पास है, वह उसके पास धरोहर के रूप में है। महात्मा गांधी का कहना था कि पूंजीवाद के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है और श्रम की महत्ता कम हुई है। बेरोजगारी ने समाज की सबसे छोटी इकाई को कमजोर किया है। अगर धनवानों ने अपनी धन-दौलत और उससे प्राप्त शक्ति का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया और आम जनता को उसके हित में साझीदार नहीं बनाया तो निश्चित रूप से एक दिन हिंसक और रक्तरंजित क्रांति हो जाएगी। महात्मा गांधी का कहना था कि इन सारी समस्याओं का समाधान ट्रस्टीशिप सिद्धांत में निहित है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

श्रम द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को खरीदने और इनका इस्तेमाल करना पापयुक्त है।" (यग इंडिया, 13/10/1921 पु. 325)

न्यासिता केवल व्यक्तिगत परितर्बन पर ही निर्भर नहीं है। यह उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन करता है, उसे स्वदेशी और लोगों के द्वारा वृहद उत्पादन में तब्दील करता है। बुनियादी जरूरतों को • प्राथमिकता देते हुए उत्पादन करता है। उत्पादन में धनिक और श्रमिक एक समान आजीविका पाते हैं। यह न्यायोचित वितरण की बात करता है। स्वामित्व एक सामूहिक स्वामित्व को स्थापित करता है। आवश्यकता होने पर राज्य का हस्तक्षेप भी स्वीकार करता है।[11,12]

गाँधीजी का प्रारंभ से ही विचार था कि पूँजीपति स्वेच्छापूर्वक न्यासिता को स्वीकार कर लें परंतु ऐसा न किए जाने पर वह राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। वह राज्य द्वारा कानून बनाकर न्यासिता कार्यक्रम को लागू करना प्रस्तावित करते हैं। वह कहते हैं

'मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर लोग न्यासी के रूप में आचरण करें, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाते तो हमें राज्य के जरिए न्यूनतम हिंसा का प्रयोग करते हुए उन्हें उन की सम्पत्ति से वंचित करना होगा। इसीलिए मैंने गोलमेज सम्मेलन में कहा था कि प्रत्येक व्यस्त हित की जांच पड़ताल की जानी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो, राज्य सात्करण के आदेश दिये जाएं। जिनकी सम्पत्ति का राज्यकरण करना हो, उन्हें मुआवजा दिया जाये या नहीं, इसका निर्णय हर मामले की तफसील पर गौर करके किया जाये। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को तरजीह दूंगा कि राज्य के हाथों में शक्ति के केन्द्रीकरण के बजाय न्यासिता की भावना का विस्तार किया जाए क्योंकि मेरी सम्मति में, निजी स्वामित्व की हिंसा राज्य की हिंसा से कम हानिकारक है। लेकिन अपरिहार्य हो तो मैं न्यूनतम राज्य. स्वामित्व का समर्थन करूंगा।" (द माडर्न रिव्यू, अक्टूबर 1935. पू. 412)

महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है, उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार है, शेष संपत्ति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी मानते थे कि सभी लोगों की क्षमता एक सी नहीं होती है, कुछ लोगों की कमाने की क्षमता अधिक होती है तो कुछ लोगों की कम होती है, इसलिए जिनके कमाने की क्षमता अधिक है उन्हें कमाना तो अधिक चाहिए किंतु अपनी जरूरतों को पूरी करने के बाद शेष राशि समाज के कल्याण पर खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी के अुसार पूंजीपति और अधिक व्यवसायिक आमदनी वाले व्यक्तियों को अपनी जरूरतों को सीमित करना चाहिए तभी बची हुई आमदनी जरूरतमंदों पर खर्च की जा सकेगी।
महात्मा गांधी के न्यासिता सिद्धान्त को बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग ने काल्पनिक आदर्शवाद निरूपित करके अव्यवहारिक करार दिया। अनेक लोग उनके ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की खिल्ली उड़ाते थे। किंतु गांधीजी को अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर विश्वास था। इसलिए उन्होंने पूंजीपतियों और धनी व्यक्तियों से ट्रस्टीशिप सिद्धान्त समझाने के लिए बैठकें प्रारंभ की तथा उन्हें समझा-बुझाकर इसके परिपालन के लिए सहमत करवाने में बड़ी हद तक सफलता पाई। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त से सहमत सैकड़ों उद्योगपतियों ने चैरिटेबल ट्रस्ट व फाउंडेशन स्थापित करके दर्जनों शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, तालाब का निर्माण करवाया। ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का पालन करने वाले सैकड़ों उद्योगपतियों में परिवार सहित सादगीपूर्ण रहन-सहन अपनाने वाले जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का सबसे प्रिय उद्योगपति शिष्य माना जाता है। दूसरी ओर जमशेदजी टाटा ने 1903 से पहले ही ट्रस्टीशिप को व्यवहार में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था।[13,14]
सवाल उठता है कि क्या आधुनिक भारत में जहां बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी विलासिता खर्च का न केवल प्रदर्शन करते हैं बल्कि मीडिया का उपयोग करके उसें प्रचारित भी करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या ट्रस्टीशिप को प्रासंगिक माना जा सकता है? वर्तमान में ये पूंजीपति कारपोरेट उद्योगपति बन गए हैं और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय को कारपोरेट टैक्स में छूट पाने के लिए करते हैं। इस सबके बावजूद आज भारत में हजारों उद्योगपति ऐसे हैं जिन्हें महात्मा गांधी से मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया किन्तु वे चैरिटेबल फाउंडेशन और ट्रस्ट स्थापित करके सहर्ष अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, चिकित्सा, देशी खेलों के विकास एवं लोक कल्याण कार्यों पर निरन्तर व्यय कर रहे हैं। प्रासंगिकता बताने के लिए जीवंत उदाहरण देना जरूरी है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

ट्रस्टीशिप अपनाने में आईटी उद्योग की प्रमुख कंपनी विप्रो के मुखिया अजीम प्रेमजी का नाम उदाहरणीय है, जिन्होंने पिछले दिनों 53 हजार करोड़ रुपए मूल्य की अपनी आधी शेयर संपत्ति अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को दान कर दी। यह फाउंडेशन मुख्यत: भारत के 6 राज्यों व एक केन्द्र शासित प्रदेश में स्कूली शिक्षकों की शिक्षण क्षमता निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
पश्चिम की विलासतापूर्ण दिखावे के युग में पूंजीपतियों में विलासिता के प्रदर्शन की होड़ लगी है। ऐसी स्थिति में आज देश के लगभग 5 प्रतिशत उद्योगपति स्वेच्छा से ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का व्यवहार में प्रयोग समाज सेवा हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, तो यह सिद्धान्त को व्यवहारिक माना जा सकता है तथा इसको आधुनिक भारत में प्रासंगिक कहा जा सकता है। [15]

परिणाम

अपने श्रम-पूँजी संबंध के बारे में विचार करते हुए गांधीजी दोनों के बीच सहयोग एवं पारस्परिकता की बात कहते हैं। एक आदर्श स्थिति के रूप में श्रम पूँजी को एक-दूसरे का पर्याय बनाते हैं परंतु वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं होने पर उस आदर्श की ओर जाने हेतु उपाय भी प्रस्तावित करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वामित्व की समस्या पर विचार करते हुए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यह सिद्धांत उनके जीवन दर्शन से प्रसूत हैं जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी सांस्कृतिक विरासत है जो आध्यात्मिक एवं धार्मिक तथा अपनी प्रकृति में नैतिक एवं सामाजिक है। अपने गहन एवं विस्तृत अध्ययन से गाँधीजी ने स्वामित्व की समस्या का हल भगवत गीता और उपनिषद के जरिए प्राप्त किया। गाँधीजी का तात्कालिक समय सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता और आर्थिक संकेन्द्रण का था। यह समस्याएँ काफी हद तक ही पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था का परिणाम थी। इस व्यवस्था के परिवर्तन हेतु दो दृष्टिकोण प्रचलित थे एक क्रांति के जरिए समूची व्यवस्था को बदलने का विचार करता था. इसके लिए हिंसा का रास्ता भी वरेण्य था।[10]

दूसरा इसमें अभिजात्य वर्ग यथास्थिति बनाए रखना चाहता था जो उनकी आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को मजबूत करती थी । यह दोनों दृष्टियाँ अतिरेकपूर्ण थी। गांधीजी ने इस संदर्भ में एक नवीन दृष्टि ट्रस्टीशिप प्रदान की। गाँधीजी ने व्यक्ति और समाज के निरंतर विकसनशील सिद्धांत को स्वीकार किया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सत्य-अहिंसा को आधार बनाकर स्वामित्व की पुनर्रचना कर समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को जन्म देता है गाँधीजी ने स्वामित्व के विचार को भ्रामक एवं हिंसापूर्ण बताते हुए उसमें सुधार स्वामित्व विचार व्यक्ति को व्यक्ति और प्रकृति पर विशेषाधिकार प्रदान करते हुए किया। तात्कालिक मानवीय कानून और सामाजिक कायदों को अतिक्रमित करता है। यह अवधारणा समाज में शोषण, स्वार्थ परिग्रह को आश्रय देते [संघर्ष को बढ़ाती है। अतएव उन्होंने इसे अहिंसक संघर्ष में तब्दील किया। उनका न्यासिता का हुए सिद्धांत एक विकसनशील सिद्धांत रहा है।[16,17]

गाँधीजी द्वारा प्रस्तुत न्यासिता सिद्धांत की तार्किकता को हम निम्नानुसार बिन्दुओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं.

I.. गाँधीजी न्यासिता को यज्ञ की अवधारणा के साथ जोड़ते हैं। उनके लिए यज्ञ का अर्थ है: "कोई ऐसा कृत्य जो फल की कामना के बगैर दूसरों के कल्याण के लिए किया गया हो. यह कृत्य लौकिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का हो सकता है. इसके अलावा मौलिक त्याग कोई ऐसा कृत्य होना चाहिए जो अधिकतम व्यापक क्षेत्र के अधिकतम जीवों का अधिकतम कल्याण करने वाला हो और जिसे अधिकतम स्त्री-पुरुष कम से कम कष्ट उठाकर कर सकते हो। तदनुसार किसी तमाकथित ऊंचे उद्देश्य के लिए किया गया कृत्य यदि एक जीव को भी हानि पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया हो तो वह यज्ञ नहीं कहला सकता, महायज्ञ तो और भी नहीं।" एफ्राम आश्रम ऑब्जर्वसेज हद मंदिर है कि व्यक्ति स्वार्फ से ऊपर उठकर अन्य लोगों के दिल में जब कार्य करता है तभी उसका कार्य त्यागपूर्ण होता है। स्मरण रखना होगा कि सर्वोदय के सिद्धांत के अनुसार सबकी भलाई में ही स्वयं की भलाई निहित है। परंतु सबकी भलाई स्वयमेव नहीं हो सकती। इसका आधार हर व्यक्ति द्वारा अपने त्यागपूर्ण कर्म में है। न्यासिता का आधार भी यही त्याग है।
2. गाँधीजी न्यासिता के आधार के रूप में ईशोपनिषद के मंत्र "ईशावास्यमिदम सर्वम् की व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं. "तेन त्यक्तेन भुंजीधा अपनी संपत्ति का त्याग करके तू ओ भोग इसको जरा विस्तार से समझा कर कहूँ तो यह कहूँगा: तू करोड़ों खुशी से कमा। लेकिन समझ ले कि तेरा। सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनिया का है, इसलिए जितनी तेरी सच्ची जरूरतें हो, उतनी पूरी करने के बाद जो बचे उसका उपयोग तू समाज के लिए कर।" (हरिजन, 01/02/1942, पू. 20) गाँधीजी इस मंत्र द्वारा एक तरह के "अनासक्त स्वामित्व की अवधारणा लाते हैं। प्रो. नंदकिशोर आचार्य के अनुसार यज्ञ की अवधारणा और ईशावास्यमिदम सर्वम्" के

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

माध्यम से गांधीजी स्वामित्व के सवाल का एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं जो केवल व्यक्तिगत सदाशयता पर निर्भर नहीं रहता बल्कि एक संस्थागत परिवर्तन बन जाता है। (आचार्य: 58) यह अनासक्त "स्वामित्व अपनी बुनियादी जरूरतो को पूरा करने के पश्चात समाज के कल्याण हेतु तत्परता है। [11]

3. गाँधीजी न्यासिता के आधार के रूप में अपरिग्रह एवं अस्तेय के धार्मिक सिद्धांत को अर्थशास्त्रीय आयाम प्रदान करते हैं और उसे एक अहिंसक अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाते है। वह अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करने को अपरिग्रह एवं अस्तेय में शामिल करते हुए इसे चोरी की संज्ञा देते हैं। वह इसे प्रकृति का बुनियादी नियम भी कहते हैं
"अगर मैं कोई ऐसी चीज लेकर अपने पास रख लेता हूँ जिसकी मुझे तत्काल आवश्यकता नहीं है तो मैं किसी अन्य व्यक्ति से वह चीज चुरा रहा हूँ। प्रकृति का यह मौलिक नियम है कोई अपवाद नहीं है कि वह हमारी दैनंदिनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जितना जरूरी है, ठीक उतना ही उत्पादन करती है और यदि प्रत्येक व्यक्ति उसमें से सिर्फ उतना ही हिस्सा ही लेने की उसे जरूरत है और फालतू बिलकुल न ले तो दुनिया में से कंगाली उठ जाएगी और कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा।" (स्पीचेज एंड राईटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी पू. 377)

यहाँ यह स्पष्ट है कि यदि प्रकृति का यह नियम है कि वह हमारी आवश्यकता अनुसार उत्पादन करती है जिससे जरूरतें पूरी हो सके तो एक वैज्ञानिक दृष्टि यह हो सकती है कि इसी नियम का पालन करते हुए हम सामाजिक कायदों का संचालन करें।[18]

4. गाँधीजी सामाजिक न्याय को न्यासिता विचार की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। एक राष्ट्र में उपलब्ध समस्त संसाधनों पर राष्ट्र के समस्त नागरिकों का समान अधिकार होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति या समूह को यह अधिकार नहीं है कि वह इन संसाधनों का उपयोग या कहना चाहिए शोषण- अपने हित एवं लाभ वृद्धि हेतु करें फिर चाहे इससे व्यापक समाज हित का नुकसान हो। यह स्थिति किसी भी तरह से उचित नहीं कहीं जा सकती है। वस्तुतः ऐसी दृष्टि नागरिकों के बीच असमानता का स्वीकार है और मूलत: सामाजिक न्याय की विरोधी है। सामाजिक न्याय व्यक्तियों के बीच हर तरह की समानता का स्वीकार है। इसमें हर व्यक्ति को अवसर की समानता, मानवीय गरिमा, अपने सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण निर्माण, लाभ में समान भागीदारी इत्यादि बातें शामिल है। हर व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने और काम के अवसर का समान अधिकार सामाजिक न्याय की पूर्व शर्त कही जा सकती है। वह कहते हैं.[12]
'प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त काम उपलब्ध होना चाहिए। यह आदर्श सर्वत्र तभी प्राप्त किया जा सकता है जब जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन आम जनता के नियंत्रण में हो। ये उसी प्रकार सबको मुफ्त रूप से उपलब्ध होने चाहिए जिस प्रकार ईश्वर की दी हुई वायु और जल है अथवा होने चाहिए इन्हें दूसरों के शोषण का अवैध नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी भी देश राष्ट्र या व्यक्ति समूह द्वारा इन पर एकाधिकार करना अनुचित है।" (यंग इंडिया, 15/11/1928,381)

5. हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि कोई व्यक्ति समाज उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही सबकुछ अर्जित करता है यानि समाज के द्वारा ही समस्त उपार्जित आय सम्पत्ति प्राप्त करता है। बिना समाज की संपत्ति का उपयोग किए किसी भी प्रकार का संपत्ति निर्माण/आय सृजन संभव नहीं है। अतः जब आय/सम्पत्ति सृजन की प्रक्रिया ही सामाजिक है तो उसके लाभ भी सामाजिक होने चाहिए। वह व्यक्तिगत नहीं हो सकते । जिन सामाजिक आयामों की सहायता से व्यक्ति संपत्ति आय सृजन करता है उन्हें भी लाभ समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। प्रो. नंदकिशोर आचार्य (2008: 76-78) ने न्यासिता को न्यायोचित ठहराते हुए यह तर्क देते हुए लिखा कि उत्पादन के प्राकृतिक वित्तीय ज्ञानात्मक एवं मानवीय संसाधनों पर किसी का वैयक्तिक स्वामित्व न्यायोचित नहीं ठहरता। साथ ही इस उत्पादन से होने वाले मुनाफे पर भी वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार करना न्याय की बुनियादी अवधारणा को भूलना है। इसमें आगे बढ़कर प्रो. आचार्य कहते हैं कि वर्तमान विकास की एक अवधारणा अन्तसंवति न्याय (इन्टरजेनरेशनल जस्टिस) नजरिए से भी वैयक्तिक स्वामित्व की अवधारणा न्यायोचित नहीं रहती है।
गाँधीजी कहते हैं कि जब सामूहिक उत्पादन है तो उसके लाभ वितरण भी समान होने चाहिए। यहाँ समान वितरण का तात्पर्य हर एक की बुनियादी जरूरत पूरी होना है। हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत पूरी होना ही समाज की प्राथमिकता है। इस समान वितरण का तात्पर्य हर एक के पास समान धनराशि का वितरण होना नहीं है बल्कि उसकी जरूरत के मुताबिक आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। यह भी सामाजिक न्याय का ही एक अंग है जो न्यासिता पूरा करता है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

उपर्युक्त आधारों पर यह स्पष्ट है कि गाँधीजी समाज में विद्यमान असमानता को समाप्त करने हेतु एक अहिंसक आधार उपलब्ध कराते हैं। अपनी अहिंसा दृष्टि के जरिए वह स्वामित्व की अवधारणा में सार्थक बदलाव का रचनात्मक प्रयास करते हैं। [13]

निष्कर्ष

गाँधीजी पूंजीपतियों, मिलमालिकों से यह उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक न्यासी की तरह कार्य करना चाहिए। अपनी पूँजी को न्यास में तब्दील कर उसका प्रयोग समाज के हित में करना चाहिए। वह पूंजीपतियों से आह्वान करते हैं.[14]

*मैं उन व्यक्तियों को जो आज अपने आप को मालिक समझ रहे हैं न्यासी रूप में काम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अर्थात यह आग्रह कर रहा हूँ कि वे स्वयं को अपने अधिकार की बदौलत मालिक न समझे, बल्कि उनके अधिकार की बदौलत मालिक समझें जिनका उन्होंने शोषण किया है 1" यंग इंडिया, 26/11/ 1931 पृ. 369)

ऐसा कहते हुए वह पूँजीपतियों की नैतिक रूप से प्रश्नांकित कर रहे होते हैं कि उनकी संपत्ति मूलत: शोषण का पर्याय है। साथ ही वे पूँजीपतियों को अपरिग्रह स्वैच्छिक गरीबी अपनाने को कहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्वैच्छिक गरीबी का स्वीकार बुनियादी जरूरतों के पूरे होने के पश्चात की अवस्था है जहाँ व्यक्ति बुनियादी जरूरतों के बाद ऐसी जीवन-शैली अपनाए जो समाज के अधिकांश लोगों के साथ साम्य बिठा सके। साथ ही वह पूँजीपतियों को भी शरीर-श्रम पर आधारित जीवन शैली का प्रस्ताव करते हैं। जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि गांधीजी पूँजीवाद का नाश चाहते हैं. पूंजीपति का नहीं।
यह महत्वपूर्ण है कि गाँधीजी पूंजीपत्तियों के हृदय परिवर्तन के जरिए उनके नैतिक उत्कर्ष की आकांक्षा रखते हैं। इसके पीछे यह तर्क है कि हिंसा केवल शोषित को ही क्षति नहीं पहुंचाती चल्कि शोषक के प्रति पहले हिंसक होती है यानि शोषण स्वयं पहले अपनी मनुष्यता त्यागकर अपने प्रति हिंसक होता है तब अन्य के प्रति हिसक होता है अतएव किसी भी प्रकार की हिंसा सर्वप्रथम अपने प्रति हिंसा है। गांधीजी इस तर्क के आधार पर पूंजीपतियों को यह अवसर देते प्रतीत होते हैं कि वे स्वयं तथा दूसरों न्यासिता सिद्धांत के पूंजीपति के बने रहने के पीछे यह भी तर्क है कि उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साम्यवादी रूस में भी 1917 की क्रांति के बाद राज्य उत्पादन व्यवस्था में मैनेजर पद का उदभव हुआ जो उत्पादन व्यवस्था को देखता था। गांधीजी चाहते थे कि पूजीपति अपने कौशल एवं अनुभव का प्रयोग जनता के हित में करे सबसे महत्वपूर्ण बात की और इंगित 1 करते हुए वह अपनी चिर-परिचित शैली से अलग चेतावनी देते हुए अंदाज में कहते हैं.[15]

"आज के धनवानों को वर्ग संघर्ष और स्वेच्छा से धन के ट्रस्टी बन जाने के दो रास्तों में से एक रास्ता चुना लेना होगा।" (हरिजन, 31/03/1946, पृ. 63-64)
पूजापतियों का हृदय-परिवर्तन का विचार गांधी विचार की विशिष्टता है इसका मूल इस अहिंसा दृष्टि में है कि प्रत्येक व्यक्ति सदगुण सम्पन्न है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुधार से परे हो। गांधीजी की दृष्टि में मानव का स्वभाव परिवर्तित किया जा सकता है। मगर यह परिवर्तन हिंसक नहीं बल्कि अहिंसक प्रक्रिया द्वारा लाया जाना चाहिए।

इस बिंदु पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि श्रमिक उस दिन की प्रतीक्षा करें कि कब पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन होगा और कब वे न्यासिता को स्वीकार करते हुए न्यासी बनेगे? गाँधीजी श्रमिकों से यह अपील करते हैं कि उन्हें पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की अनंतकाल तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि पूँजीपति उनके जायज हकों को स्वीकार नहीं कर रहा है तो वे बिना किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा किए असहयोग, सविनय अवज्ञा का प्रयोग करते हुए सत्याग्रह की शुरूआत कर सकते हैं। सत्याग्रह किसी भी अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष का कारगर उपाय है। स्वयं गाँधीजी ने इसका प्रयोग कर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। श्रम संगठनों के संबंध में जब गाँधीजी शिक्षा की बात करते थे, वहाँ उनका अर्थ असहयोग व सविनय अवज्ञा की शिक्षा से भी था।[16]

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

असहयोग की व्याख्या करते हुए गाँधीजी उसे एक व्यापक अर्थ प्रदान करते हैं. 'मैं नॉन को-आपरेटर (असहयोगी हूँ.. लेकिन मैं असहयोग इसलिए करता हूँ कि सहयोग कर सकू... यह किसी पर उपकार नहीं करता, यह असहयोग बुराई करने वालों के साथ नहीं, बल्कि बुराई के साथ एक बुरी प्रणाली के साथ है।" (यंग इंडिया, 20/08/1925, पृ. 285) श्रम-पूंजी संबंधों में श्रमिकों की शक्ति उनके असहयोग में निहित है। इस असहयोग का मतलब है पूँजीपतियों द्वारा किए जाने वाले शोषण में भागीदारी से मना करना या दूसरे शब्दों में असहयोग का अर्थ है एक समतापूर्ण सहयोग की शुरूआत ऐसा सहयोग जिसमें श्रम पूंजी एक समान हो। गाँधी इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि..
"एक बड़ा जानदार शब्द है, यह अंग्रेजी में भी है, फ्रेंच में भी है और विश्व की सभी भाषाओं में है यह शब्द है नहीं। जो रहस्य हमें हाथ लगा है वह यह है कि जब पूंजीपति यह चाहें कि श्रमिक हाँ करें तो श्रमिक को, यदि उसका मन्तव्य है तो पूरे जोर के साथ नहीं कह देना चाहिए। इसके साथ अमि यह बात समझ में आ जाएगी कि उनके सामने दो विकल्प जब हाँ कहना चाहतो तो करने का और जब ना कहना चाहे तो ना कहने का । जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो श्रम पूंजी से स्वतंत्र हो जाएगा और पूंजी को म मनुहार करनी पड़ेगी। इंडिया, 14/01/1932 पू. 17-18)

श्रमिक द्वारा किया जाने वाला यह अहिंसक असहयोग पूंजी को श्रम की महता का भान करा सकेगा और शोषण मुक्ति को संभव बना कर समानतापूर्ण सहयोग की नई शुरूआत संभव हो पाएगी। गांधीजी यह भी दर्शाते हैं कि पूजी के साथ न्यासी होना अनिवार्य है तो श्रम को इससे कैसे मुक्त किया जा सकता है? इसका कारण है कि श्रम भी तो स्वयं में एक पूंजी का ही रूप है अतः अमिक को भी न्यासी होना होगा क्योंकि वह श्रम रूपी संपत्ति का मालिक है। श्रमिक का न्यासीपन अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की पूर्ति में संभव है जहां वह पूंजी के साथ सहयोग कर एक समाजोपयोगी उत्पादन में हिस्सा लेता है और जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता है वहीं दूसरी ओर श्रम संगठन के जरिए अपने अधिकारों की पूर्ति कर समाज में एक बेहतर वातावरण निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है।[16]
प्रो. नंदकिशोर आचार्य ने इस उद्धरण को व्याख्यायित करते हुए लिखा कि यह द्रष्टव्य है कि राज्य की मदद के बिना उद्योगबाद एवं पूंजीवाद का विकास संभव नहीं है। राज्य द्वारा प्रदान की गयी तमाम सुविधाओं के बलबूते पर ही इनका विकास संभव हो पाता है। अत: राज्य अगर हिंसा न भी करे और केवल इनके साथ असहयोग करे तब भी पूंजीपतियों को न्यासिता सिद्धांत को मानना होगा। यह हिंसा नहीं होगी क्योंकि पूँजीपति हिंसा में राज्य का सहयोग लेने के नैतिक अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रो. आचार्य के अनुसार गाँधीजी राज्य को एक सत्याग्रही राज्य होने को कहते हैं(1995:60)।

ट्रस्टीशिप सूत्र

न्यासिता सिद्धांत अपने मूल में जिन विचारों को समाहित करता है उसे न्यासिता सूत्र के जरिए समझा जा सकता है जिसे गांधीजी ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत कर दिया था. [17]

1. न्यासिता समाज की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था में रूपान्तरित करने का एक साधन है। न्यासिता पुँजीवादको बख्ती नहीं है, पर वह वर्तमान मालिक वर्ग को

सुधार का एक अवसर प्रदान करती है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि मानव प्रकृति कभी सुधार से परे नहीं होती।

2. यह निजी स्वामित्व के किसी अधिकार को नहीं मानती, सिवा उसके जिसकी अनुमति में उपयोग के कानून समाज अपने कल्याण के लिए दे।
3. यह धन सम्पत्ति के स्वामित्व और उपयोग के कानूनी विनियमन की वर्जना नहीं करती।

4. तदनुसार राज्य द्वारा विनियमित न्यासिता के तहत कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

अथवा समाज के हितों की अनदेखी करते हुए अपनी सम्पत्ति को धारण करने अथवा उसका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।

5. जिस प्रकार एक समुचित न्यूनतम निर्वाह मजदूरी तय करने का प्रस्ताव है उसी तरह समाज में व्यक्ति की अधिकतम आय भी नियत कर देनी चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम आयों के बीच जो अंतर हो वह युक्तिसंगत और न्यायोचित हो और उसमें समय-समय पर इस दृष्टि से परिवर्तन किया जाए कि अंततः वह अंत मिट जाए।

6. गादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप व्यक्तिगत सनक या लोभ द्वारा नहीं, बल्कि

सामाजिक आवश्यकता द्वारा निर्धारित होगा। (हरिजन, 25/10/1952, पृ. 301 यह न्यासिता सूत्र पूंजीवाद को सिरे से खारिज करता है। गांधीजी व्यवहार में कुछ बृहद उद्योगों की संभावना भी देखते हैं। लेकिन इन बृहद उद्योगों का स्वामित्व राज्य के जरिए जनता का होगा तथा लोभ के स्थान पर प्रेम को कायम करना उनका उद्देश्य होगा। इसी के साथ गाँधीजी न्यासिता से जुड़े एक अन्य पहलू को भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि न्यासी का कोई वारिस नहीं होता जनता ही उसकी वारिस होती है। (हरिजन, 1204/1942, पु. 116) साथ ही यह भी कि न्यासी को अपनी सेवा और समाज के लिए उसके मूल्य को देखते हुए कमीशन मिलेगा जिसकी दर का नियमन राज्य द्वारा किया जाएगा। उनके बच्ची को उनके स्थान पर न्यासी बनने की आज्ञा तभी मिलेगी जबकि वे स्वयं को इसके योग्य सिद्ध कर सकेंगे(हरिजन 31/03/1946, पु. 63-64)। साथ ही गाँधीजी का विचार था कि स्वतंत्र भारत में न्यामिता नीचे से यानि ग्राम पंचायत के स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए। इसके लिए जनता के बीच इसका अर्थ ले जाना इसके अनुकूल वातावरण निर्माण करना होगा ताकि यह एक सामूहिक पहल के जरिए स्वेच्छा से कानून रूप में तब्दील हो सके। ऊपर से आरोपित होने पर यह बोझ जैसा महसूस होगा।[18]

संदर्भ

1) भाना, सुरेन्द्र और गुलाम वाहेद.द मेकिंग ऑफ़ अ पोलिटिकल रिफोर्मार : गाँधी इन साऊथ अफ्रीका, १८९३-१९१४. नई दिल्ली: मनोहर, २००५
2) बोंदुरंत्त, जुआअन वी. हिंसा की जीत: गाँधीवादी दर्शन का संघर्ष. प्रिन्सटन यूपी, १९९८ आईएसबीऍन ०-६९१-०२२८१-X
3) चेर्नस, ईरा. अमरीकी अहिंसा: विचारों का इतिहास, सातवाँ अध्याय .आईएसबीऍन १-५७०७५-५४७-७
4) चड्ढा, योगेश .गाँधी: एक जीवन .आईएसबीऍन ०-४७१-३५०६२-१
5) डेलटन, डेनिस (ईडी) .महात्मा गाँधी: चुनिन्दा राजनैतिक लेख .इंडियानापोलिस/कैमब्रिज : हैकट प्रकशन कंपनी (Hackett Publishing Company), १९९६ आईएसबीऍन ०-८७२२०-३३०-१
6) गाँधी, महात्मा .महात्मा गाँधी के संचित लेख .नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, सुचना एवम प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, १९९४.
7) इश्वरण, एकनाथ (Eswaran, Eknath).गाँधी एक मनुष्य .आईएसबीऍन ०-९१५१३२-९६-६
8) फिशर, लुईस .द एसेनसियल गांधी : उनके जीवन, कार्यों और विचारों का संग्रह . प्राचीन: न्यूयार्क, २००२. (पुनर्मुद्रित संस्करण), आईएसबीऍन १-४०००-३०५०-१
9) गाँधी, एम.के. गाँधी के पाठक: उनके जीवन और लेखन का एक स्रोत पुस्तक.होमर जैक (ईडी) ग्रोव प्रेस, न्यू योर्क, १९५६
10) गाँधी, राजमोहन .पटेल: एक जीवन .नवजीवन प्रकाशन घर, १९९० आईएसबीऍन ८१-७२२९-१३८-८
11) हंट, जेम्स डी. लन्दन में गाँधी . नई दिल्ली: प्रोमिला एवं कंपनी, प्रकाशक, १९७८
12) मात्र, बर्नहार्ड, महात्मा गाँधी और पाउलो फरेरी के शैक्षणिक अवधारणाएं. क्लौबें, बी, में .(ईडी) राजनैतिक समाजीकरण एव शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन बीडी. ८.हैम्बर्ग १९९६.आईएसबीऍन ३-९२६९५२-९७-०
13) रूहे, पीटर. गाँधी: एक छायाचित्र जीवनी .आईएसबीऍन ०-७१४८-९२७९-३
14) शार्प, जीन. गाँधी एक राजनैतिक नीतिज्ञ के रूप में, अपने मूल्यों और राजनैतिक निबंधो के साथ. बोस्टन: एक्सटेंडिंग होराइज़ोन पुस्तकें, १९७९.
15) सोफ्री, गियान्नी. गाँधी और भारत: केन्द्र में एक सदी (१९९५) आईएसबीएन १-९००६२४-१२-५

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 2, February 2020

16) गौरडन, हैम.आध्यात्मिक साम्राज्यवाद से अस्वीकृति: गाँधी को बूबर के पत्रों की झलकी .'सार्वभौमिक अध्ययन की पत्रिका, २२ जून १९९९.
17) गाँधी, एम.के "दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह"
18) गाँधी नामक प्रतिमा और अन्य कविताएँ[143] (डॉ. ना. मोगसाले, राजमंगल प्रकाशन, 2022)